

मुन्तकिली प्रकरण सं० 56/2016 अनवानी गोपीराम पुत्र फरसाराम जाति
जाट निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ बनाम 1-बृजलाल पुत्र
सरदाराराम जाति जाट निवासी ढाबा झलार तहसील सूरतगढ 2-श्री
रामचन्द्र पोटलीया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

21.09.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित राजस्व वाद प्रकरण संख्या 13/2012 अनवानी बृजलाल बनाम फरसाराम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल कराने के लिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1668
26-9-16

56
16
A3